अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

बी.ई./बी.आर्क./बी.फार्मेसी/एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (NRI CANDIDATES) के लिये काउंसलिंग कार्यक्रम एवं प्रवेश प्रक्रिया. सत्र 2018–19

मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011 **(Admission (Reservation to non- resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011)** के आधार पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। काउंसलिंग की समय सारणी एवं प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

//समय–सारणी//

क्रमांक	क्या करना है?	निर्धारित तिथियां	कहाँ से?
1.	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना होगा।	08 जून, 2018 से 15 जून, 2018 तक	सारणी क्रमांक 1 अनुसार इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
2.	दस्तावेजों का सत्यापन, संस्था/ब्रांच का आंवटन एवं प्रवेश Documents Verification, Allotment Of Institution/ Branch/ Admission) (एमसीए/बी.ई./बी.आर्क/बी.फार्मेसी पाठ्यक्रमों के लिये)	18 जून, 2018 (प्रातः 11:30 बजे)	कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, टैगोर हॉस्टल परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में उपस्थित होकर

ऑनलाईन पंजीयन/आवेदन करने के लिये निम्नलिखित किसी भी माध्यम का उपयोग किया जा सकता हैः–

सारणी क्रमांक 1

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अभ्यर्थी के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर निवास से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इन्दौर, रीवा एवं सागर स्थित शासकीय पोलीटेकनिक/इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट पर उपलब्ध है)।
- उम्मीदवार के शहर/गाँव में स्थित इंटरनेट सुविधा के माध्यम से।

Website :- dte.mponline.gov.in Or www.dtempcounselling.org

1. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

- एनआरआई सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये वेबसाइट में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम में जाकर ऑनलाईन पंजीयन/आवेदन करना होगा।
- ऑनलाईन पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क ₹ 5100/– (पोर्टल चार्जेस 100 ₹ सहित) देय होगा। जिसका भुगतान सारणी क्रमांक 2 में दर्शाये अनुसार करना होगा।
- पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही उम्मीदवार को शुल्क भुगतान की रसीद तथा भरे गये विवरण का प्रिंटआउट प्राप्त होगा। अतः शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाईन रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंवे।

पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है:–

सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प
➢ इंटरनेट बैंकिंग ➢ एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड ➢ सभी अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपलब्ध डी.टी.ई. कियास्क (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) पर नगद भुगतान

2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

समय सारणी में दिये गये अनुसार निर्धारित तिथि को कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, टैगोर हॉस्टल परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में उपस्थित होकर अभ्यर्थी को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।

एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा :–

(क) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय, जिससे अभ्यर्थी ने अपनी अर्हकारी परीक्षा, ग्रेड पद्धति में उत्तीर्ण की है तो ग्रेड से प्रतिशत अंकों के संपरिवर्तन का फार्मूला लागू होगा, यह फार्मूला भारतीय दूतावास/उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक होगा, अभ्यर्थी, जिसके भारत से भिन्न किसी देश से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उससे भारतीय दूतावास/भारतीय वाणिज्यिक दूतावास या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एसोसिएशन), नई दिल्ली से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है कि उत्तीर्ण की गई परीक्षा भारतीय पद्धति की संबंधित अर्हकारी परीक्षा के समतुल्य है;

(ख) राष्ट्रीयता का सबूत;

(ग) भारतीय दूतावास से या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से, जहाँ अनिवासी निवास कर रहे हैं, इस आशय का प्रमाण–पत्र कि अभ्यर्थी के माता या पिता अनिवासी भारतीय हैं; अथवा अनिवासी भारतीय के पासपोर्ट की मूल प्रति अथवा भारतीय दूतावास या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा पासपोर्ट के सम्पूर्ण पृष्ठों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जहाँ अनिवासी भारतीय माता–पिता निवास कर रहे हैं;

(घ) माता/पिता द्वारा अपने पुत्र/पुत्री को अनिवासी भारतीय श्रेणी में प्रायोजित किये जाने हेतु नोटरी द्वारा दिया गया शपथ–पत्र ;

(ड) अभ्यर्थी द्वारा स्व अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ;

नोट:– बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को सी.ओ.ए. द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से मेरिट अंको के आधार पर किये जावेगें। (प्रवेश परीक्षा नाटा उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा के स्थान पर जेईईमेन्स–2018 पेपर–2 (Aptitude Test in Architecture) को मान्य किया जायेगा)

शिक्षण शुल्क :–

✓ एनआरआई सीटों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क की राशि US $ 3,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित है।

✓ काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क ₹ 75000/– (पच्चहत्तर हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि **"संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश"** के नाम से तथा भोपाल में देय हो, सत्यापन के दौरान उपरोक्त दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

टीप:– 1) मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।

2) उम्मीदवारों को Eligible/Not Eligible की पावती जारी की जावेगी।

3) प्रवेश हेतु पात्र (Eligible) उम्मीदवों को मेरिट के अनुसार संस्था/ब्रांच का आंवटन किया जावेगा।

4) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एनआरआई सीटों पर प्रवेश के लिये "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" के अनुसार जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है,

अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में उम्मीदवार को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी तथा उसे संस्था/ब्रांच के आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

3. **संस्था/ब्रांच का आवंटन (Allotment Of Institution/Branch)**

दस्तावेजों के सत्यापन के तुरंत बाद उम्मीदवारों को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा तथा पाठ्यक्रमवार उनके मेरिट अनुसार संस्था/ब्रांच का आवंटन किया जावेगा। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया होगी–

- उम्मीदवारा को उनकी मेरिट के अनुसार बुलाया जावेगा तथा चाहे अनुसार उपलब्ध संस्था/ब्रांच का आवंटन किया जावेगा।
- आवंटन उपरांत उम्मीदवार को आवंटन पर्ची (Allotment Slip) जारी की जावेगी।
- आवंटन उपरांत उम्मीदवार को संस्था में रिपोर्ट करना होगा।

4. **आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा प्रवेश (Reporting and Admission at Alloted Institute)**

उम्मीदवारों को प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक अन्य शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिये निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता भी होगी:–

- आवंटन पर्ची (Allotment Slip) का प्रिंटआउट
- दस्तावेजों का सत्यापन बिन्दु में उल्लेखित प्रमाण–पत्रों की फोटों प्रतियाँ
- चरित्र प्रमाण–पत्र।
- **आवंटन के बाद अभ्यर्थी को तीन दिन में आवंटित संस्था में रिर्पोट करना होगा।**

महत्वपूर्णः–

➢ उम्मीदवार संस्था में रिपोर्ट करने के उपरांत संस्था की ऑनलाईन प्रवेश–पर्ची अवश्य प्राप्त करें।

महत्वपूर्ण टीपः–

- एनआरआई सीटों पर प्रवेश के लिये "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" (Admission (Reservation to non- resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011) वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इन विनियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें तथा पात्रता संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे अपने अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य योग्यता प्रवेश हेतु पूर्ण करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मिथ्या या गलत सूचना के आधार पर या संबद्ध तथ्यों को छुपाकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के बाद किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रवेश किसी भूल या अनवेक्षा के कारण दे दिया गया है तो उसके अध्ययन के अनुक्रम के दौरान ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश बिना कोई सूचना दिये संस्था प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय रद्द कर दिया जाएगा
- प्रत्येक स्तर पर भुगतान किये गये शुल्क तथा विभिन्न स्तर पर की गई कार्यवाही का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें तथा अपने पास संदर्भ के लिये सुरक्षित रखें।

प्रवेश नियम, एनआरआई हेतु अंतरिम सीटों का विवरण, संस्थानों के विवरण, संस्थानों की ट्यूशन फीस तथा काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत सहायता केन्द्रों एवं सहायता केन्द्रों पर उपलब्ध डी.टी.ई. कियास्क आदि की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

एमपीऑनलाइन वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट **www.dtempcounselling.org**

संपर्क – (0755) 4036802, .2660441

28/5

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा,मध्यप्रदेश